रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 282] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 1987/ज्येष्ठ 15, 1909
No. 282] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 1987/JYAISTHA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 5 जून, 1987

अधिसूचना

का. आ. 561(अ).—केन्द्र सरकार, गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, कांडला पत्तन न्यास, कांडला को कांडला गोदी श्रमिक मंडल में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये

सदस्य नियुक्त करती है जो उक्त मंडल के अध्यक्ष होंगे और निदेश देती है कि नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष), भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 535 (अ) दिनांक 18 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में

(i) केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि शीर्षक के अंतर्गत मद सं. (1) में "उप" शब्द हटा दिया जाएगा।

(ii) पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:—

"2 केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अध्यक्ष, कांडला पत्तन न्यास, कांडला को उक्त मंडल का अध्यक्ष नामांकित करती है।"

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 18 जुलाई, 1985 में पृष्ठ सं. 1-2 पर सरकारी अधिसूचना, नौवहन और परिवहन मंत्रालय का. आ. सं. 535(अ) दिनांक 18-7-1985 के माध्यम से प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित हुई थी :—

(1) सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 497 (अ) दिनांक 20 अगस्त, 1986 जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3, उपखंड (ii) पृष्ठ सं. 337

[फाइल सं. एल. डी. के./6/85-यू. एस. (एल)]
योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 5th June, 1987

NOTIFICATION

S.O. 561 (E) .—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints the Chairman, Kandla Port Trust, Kandla as a member representing the Central Government on the Kandla Dock Labour Board, who shall be the Chairman of the said Board and directs that following amendments shall be made in

the Notification of the Government of India in the then Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) S. O. No. 535 (E) dated the 18th July, 1985, namely :—

In the said notification :—

(i) under the heading "Members representing the Central Government", against item No. (1) the word "Deputy" shall be omitted;

(ii) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"2. The Central Government hereby nominates the Chairman, Kandla Port Trust, Kandla, as the Chairman of the said Board."

NOTE : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 18th July, 1985 at pages 1-2 vide Government notification, Ministry of Shipping and Transport, No. S.O. 535 (E) dated the 18-7-1985 and was subsequently amended by :—

(i) Government Notification No. S.O. 497 (E) dated the 20th August, 1986 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) at page 337.

[F. No. LDK|6|85-US (L)]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987